रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 219] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 25, 1972/वैशाख 5, 1894
No. 219] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 25, 1972/VAISAKHA 5, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION

(Department of Labour and Employment)

ORDERS

New Delhi, the 25th April 1972

S.O. 813(E).—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Pyrites Phosphates and Chemicals Limited, Post Office Khandela, District Sikar and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal with Shri Mohammed Yaqub Khan as Presiding Officer with headquarters at Jaipur and refers the said dispute for adjudication to the said Industrial Tribunal.

SCHEDULE

"Whether the demands of the Khan Workers Union Saladipura, Khandela relating to (i) payment of Dearness Allowance, (ii) payment of 25 per cent Project Allowance to all the workmen, (iii) grant of 12 days casual leave in a year, (iv) grant of 10 days sick leave to all the mine workers and (v) payment of Washing Allowance to all the underground workmen are justified? If so, to what relief the said workmen are entitled?"

[No. L-29011/12/72-LR-IV.]

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय

(श्रम और रोजगार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 1972

का० आ० 313(अ).—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में पाईराइट्स फास्फटस एण्ड केमिकल्स लिमिटेड, डाकघर, खान डेला, जिला सीकर के प्रबन्ध से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ।

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायानिर्णयन के लिए निदर्शित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री मोहम्मद याकूब खां, होंगे, जिनका मुख्यालय जयपुर होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायानिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

"क्या खान कर्मकार संघ, सालादीपूरा, खानडेला की (i) मंहगाई भत्ते के भुगतान, (ii) सभी कर्मकारों को 25 प्रतिशत प्रयोजना भत्ते के भुगतान, (iii) वर्ष में 12 दिन आकस्मिक छुट्टी देने, (iv) सभी खानें कर्मकारों को 10 दिन की बीमारी छुट्टी देने और (v) भूमि के नीचे काम करने वाले सभी कर्मकारों को धुलाई भत्ता देने की मांगें न्यायोचित हैं ? यदि हां, तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं ?"

[सं० एल–29011/12/72–एल–आर० IV]

S.O. 314(E).—Whereas by an Order of the Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. L-29011/12/72-LR-IV, dated the 25th April, 1972, an industrial dispute between the management of Pyrites Phosphates and Chemicals Limited, Post Office Khandela, District Sikar and their workmen has been referred to the Industrial Tribunal, Jaipur for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby prohibits the continuance of the strike in existence in the said establishments in connection with the said dispute.

[No. L-29011/12/72-LR-IV.]

KARNAIL SINGH, Under Secy.

का० आ० 314(अ).—यतः भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) के आदेश संख्या एल-29011/12/72-एल० आर०-I, तारीख 25 अप्रैल, 1972 द्वारा पाईराट्स फास्फट एण्ड केमिकल्स लिमिटेड, डाकघर खानडेला, जिला सीकर के प्रबन्ध से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों की बीच विद्यमान औद्योगिक विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए औद्योगिक अधिकरण, जयपुर को निर्देशित किया गया है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त प्रतिष्ठानों में उक्त विवाद के सिलसिले में विद्यमान हड़ताल के जारी रखे जाने का प्रतिषेध करती है ।

[सं० एल-29011/12/72-एल० आर - 4]

करनैल सिंह, अवर सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972